Rakesh Dixit
(Advocate)
Off. Ch. No 90, Collectorate, Bulandshahr (U.P.)
Mob. 09319270831, 09456473808
Rg No. - UP 3276/1978
COP - 101737

ADVOCATE

Harsh Vardhan Dixit
Reg No. UP 9553/09 (Advocate)
COP 102326
Mob. 9837068163

Rubi Kaushik Dixit
Reg No. UP 2089/13 (Advocate)
COP 154249
(INCOMETAX CONSULTANT)
Mob. 9719545064

Resi. : LIG 833, Avas Vikas Colony-Ist, D.M. Colony Road, BULANDSHAHR -203001 (U.P.)

Dated

प्रेषित :- विद्वान सम्मानित जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

महोदय,

1. यह कि जैसा कि आपके संज्ञान में भली-भांति है कि विद्वान ए0डी0जे0 प्रथम बुलन्दशहर के विरूद्ध डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलन्दशहर व सिविल बार एसोसिएशन बुलन्दशहर ने बिना किसी कारण के, बिना औचित्य के बिना जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाये एक दिन की हड़ताल दिनांक 22.03.2021 को कर दी।
2. यह कि इस हड़ताल का उद्देश्य मात्र पूर्ण न्यायपालिका पर यह दबाव बनाना था कि बार के पदाधिकारी ही सर्व-सर्वा है उनकी बातें चाहे गैर कानूनी हो माननी पड़ेगीं।
3. यह कि आप स्थिति से विधिक है कि दोनों बार के पदाधिकारी ब्रीफलैस हैं।
4. यह कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलन्दशहर का चुनाव गैर कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण हुआ। इसका रेफरेन्स एस0डी0एम0 सदर बुलन्दशहर के यहां चल रहा है।
5. यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में व्यवस्था दी है कि जो कोई बार हड़ताल का आयाहन करेगा वह व्यवसायिक कदाचरण का दोषी होगा तथा न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।
6. यह कि मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के पश्चात व्यवस्था यह बनी थी कि जिसे भी न्यायालय से शिकायत हो वह सम्बन्धि मा0 उच्च न्यायालय को शिकायत करेगा। मा उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज अथवा निर्देशित अधिकारी उस शिकायत पर जांच करेगें व कार्यवाही करेगें।
7. यह कि मै वर्ष 1978 से विधि व्यवसाय में हूँ तथा मेरी उपस्थिति विद्वान न्यायालय प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायालय में कई बार हुई। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी मेहनत व ईमानदारी से कार्य करते है। इनके द्वारा श्री राहुल उपध्याय जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के विरूद्ध परिवाद दायर किया गया था। उसी रंजिश के कारण जिला शासकीय अधिवक्ता

......2

R.D.